

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश

1160

क्रमांक /स्था-1/पट/2018

ग्वालियर, दिनांक 9.7.2018

प्रति,

कलेक्टर,
जिला समस्त,
मध्यप्रदेश ।

विषय: विशेष आदिम जनजाति (सहारिया, बैगा एवं भारिया)पटवारी भर्ती 2018 के संबंध में ।

सन्दर्भ:राजस्व विभाग कापरिपत्र क्र. एफ 13-2/1986/सात/4 बी भोपाल दिनांक 9.5.2018 ।

विषयान्तर्गत लेख है कि म.प्र. शासन राजस्व विभाग द्वारा सहारिया, बैगा एवं भारिया विशेष आदिम जनजाति हेतु 143 पदों की भर्ती की स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 13-2/1986/सात/4बी दिनांक 09/05/2018 द्वारा दी गयी। इन विशेष जनजाति के उम्मीदवारों की पटवारी पद पर नियुक्ति हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से सम्पादित करने के लिए यथोचित निर्देश प्रसारित करने हेतु शासन द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त को अधिकृत किया गया है। इन 143 पदों का जिलेवार बंटन निम्नानुसार है:

जिले का नाम	पद संख्या
श्यांपुर	19
मुरैना	1
भिंड	1
ग्वालियर	9
शिवपुरी	25
गुना	28
अशोकनगर	8
दतिया	1
छिंदवाडा	5
मंडला	9
बालाघाट	5
डिंडोरी	7
शहडोल	11
उमरिया	9
अनूपपुर	5

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख और बंदोबस्त, तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2012 के नियम 6(3) व 6(4) में निहित प्रावधानों अंतर्गत शासन द्वारा सहारिया, बैगा एवं

भारिया विशेष आदिम जनजाति भर्ती 2018 हेतु भर्ती शर्तों को शिथिल किया गया है। भर्ती हेतु निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी:

1. इस भर्ती हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 यथा संशोधित 2 अगस्त 2014 के नियम 4 ख के अनुसार विशेष आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हों।
2. अभ्यर्थी को म0प्र0का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
3. इस विशेष भर्ती हेतु शासन द्वारा चयन परीक्षा से छूट प्रदान की गयी है।
4. शैक्षणिक योग्यता:- वर्तमान नियम अनुसार अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, परन्तु मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी (10+2 पद्धति से) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन हेतु हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक (प्रतिशत) के आधार पर चयन हेतु विचार में उस परिस्थिति में लिया जाएगा जबकि स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों। यदि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन पटवारी पद पर होता है तो चयनोपरांत पांच वर्ष के भीतर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर प्रोफेशियंसी सर्टिफिकेट टेस्ट (CPT) उत्तीर्ण होना चाहिए परन्तु यदि अभ्यर्थी CPT उत्तीर्ण नहीं है तो नियुक्ति के 5 वर्ष के भीतर अभ्यर्थी को CPT परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
6. शासन परिपत्र दिनांक 09/05/2018 की कंडिका 7 अनुसार अभ्यर्थियों का चयन वरीयता अनुसार स्नातक में प्राप्तांक (प्रतिशत) एवं तदुपरांत यदि पर रिक्त रहते हैं तो हायर सेकेंडरी (10+2) में प्राप्तांक (प्रतिशत) के आधार पर किया जाएगा।

चूंकि पटवारी का पद जिला संवर्ग का पद है, अतः पटवारी की नियुक्ति की कार्यवाही जिला स्तर पर की जाएगी। चयन की प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:

1. चयन प्रक्रिया में एकरूपता बनाये रखने हेतु पटवारी चयन हेतु आवेदन की अवधि निर्धारित कर विज्ञप्ति आयुक्त भू अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा प्रकाशित की जाएगी।
2. विज्ञप्ति का समुचित प्रचार-प्रसार कलेक्टर सुनिश्चित करें। इस विशेष भर्ती हेतु कलेक्टर अधीनस्थ जनजातीय कार्य के अमले को आदिम जनजाति निवास क्षेत्रों में प्रचार हेतु निर्देशित करें तथा यथासंभव सहयोग आवेदन भरने में प्रदान करें।
3. आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे। आवेदन पत्र मात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम से

जमा किये गए किसी भी आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र दिनांक 16 जुलाई 2018 से 28 जुलाई 2018 तक प्राप्त किये जायेंगे।

4. मॉडल रूल-बुक की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है। प्रत्येक जिले द्वारा जिले में उपरोक्त रिक्त पदों की भर्ती हेतु रूल-बुक प्रकाशित की जाएगी जिसे जिले की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। यह रूल-बुक पोर्टल www.mponline.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी।
5. आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात शासन निर्देश अनुसार जिला वार मेरिट लिस्ट तैयार कर जिलों को प्रेषित की जाएगी।
6. जिन जिलों में इस भर्ती के अंतर्गत पद भरे जाने हैं वह कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि मध्य प्रदेश भू-अभिलेख और बंदोबस्त, अराजपत्रित, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2012 यथा संशोधित 7 नवम्बर 2017 तथा मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 के प्रावधानों का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की करवाई समिति के माध्यम से की जाए।
7. सत्यापन उपरान्त पात्र अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजा जाए तथा नियुक्ति पत्र दिया जाए।
8. यदि दस्तावेज सत्यापन के समय प्रशिक्षण हेतु पात्र अभ्यर्थी जिला अपग्रेड करने का विकल्प देता है तो उस आवेदन को दर्ज किया जाए तथा अभ्यर्थी को प्रशिक्षण पर भेजने का पत्र जारी किया जाए।
9. दस्तावेज सत्यापन हेतु शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक 307/413/2018/सात-4B दिनांक 24/04/18 तथा आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार करवाई पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: संदर्भित शासन आदेश।

मॉडल रूल बुक।

1160
पृ.क्रमांक/स्था-1/पट./2018

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश शासन की ओर सूचनार्थ।
2. संभागायुक्त, ग्वालियर, चम्बल, जबलपुर, शहडोल संभाग की ओर सूचनार्थ।

MANICKAM
SELVENDRAN

आसिक्त
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त
म.प्र. ग्वालियर
मध्य प्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 9-7-2018

3. क्षेत्रीय उपायुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला _____ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

MAHAKAM SELVENDRAN

आयुक्त
एम. सेल्वेन्द्रन

भू-अभिलेख एवं वंदोबस्त
म.प्र. ग्वालियर प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 9 / 05 / 2018

क्रमांक एफ 13-2/1986/सात/4बी:- राज्य शासन एतद् द्वारा सहारिया, बैगा एवं भारिया विशेष आदिम जनजातियों के उम्मीदवारों को राजस्व विभाग के पटवारी पद पर सीधी भर्ती हेतु विशेष प्रावधान किये जाने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही करने की स्वीकृति प्रदान करता है :-

(1) पटवारी के 143 अतिरिक्त पदों का सृजन किया जावे। इन पदों को भविष्य में पटवारी के नवीन पदों की स्वीकृति के समय अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदों में समायोजित कर लिया जावे।

(2) सहारिया, बैगा एवं भारिया विशेष आदिम जनजाति के उम्मीदवारों को पटवारी पद पर भर्ती हेतु म.प्र. भू-अभिलेख और बन्दोबस्त तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिका एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम दिनांक 04 मई 2012 यथा संशोधित दिनांक 07 नवम्बर 2017 के अंतर्गत चयन परीक्षा से मुक्त रखते हुए, सीधी भर्ती की छूट दी जावे।

(3) पटवारी पद हेतु वर्तमान में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि" के स्थान पर इन विशेष आदिम जनजाति के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता "मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकण्डरी (10+2 पद्धति से) उत्तीर्ण रखी जावे।

(4) पटवारी पद पर चयनोपरांत 05 वर्ष के भीतर इन जनजाति के उम्मीदवारों को स्नातक परीक्षा पत्राचार के माध्यम से उत्तीर्ण करने की छूट दी जावे। यदि वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण करना चाहें, तो उन्हें कुल 03 वर्ष तक की अवधि का विशेष अध्ययन अवकाश प्रदान किया जावे।

(5) वर्तमान में प्रावधान अनुसार पटवारी पद हेतु नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर उम्मीदवारों को सी.पी.सी.टी. (C.P.C.T.) परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है। इन विशेष आदिम जनजाति के उम्मीदवारों को पटवारी पद के लिये नियत सी.पी.सी.टी. परीक्षा चयन उपरांत 05 वर्ष के भीतर उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान रखा जावे।

(6) इन विशेष आदिम जनजाति के उम्मीदवारों की पटवारी पद पर नियुक्ति हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपादित करने हेतु आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त म.प्र. को अधिकृत किया जाता है।

7) इनकी नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जावें। प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची तैयार की जावे। इस सूची में प्रथम वरीयता में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जावे। इनकी मेरिट लिस्ट स्नातक में प्राप्तांक के आधार पर तैयार की जावे। तदुपरांत यदि पद रिक्त रहते हैं, तो हायर सेकण्डरी

निरंतर....2

22/11/18

(10+2 पद्धति से) उत्तीर्ण सम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट प्राप्तिक के आधार पर तैयार की जाये।

के अंतर्गत नियुक्ति की कार्यवाही यथा संभव 30 जुलाई 2018 के पूर्व सम्पन्न की जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

09/5/18
(एन0पी0अहिरवार)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 9 / 05 / 2018

पृ0क0एफं. 13-2 / 1986 / सात / 4बी,
प्रतिलिपि:-

1. महाविध्वक्ता/उपमहाधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर/खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर मध्यप्रदेश।
 2. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
 3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर।
 4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय भोपाल।
 5. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय।
 6. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) म0प्र0।
 7. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग म0प्र0।
 8. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल।
 9. सचिव, वित्त विभाग, म0प्र0 शासन भोपाल।
 10. संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन, बोर्ड भोपाल।
 11. शासन के समस्त विभाग/विभागाध्यक्ष म0प्र0।
 12. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश।
 13. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर म.प्र.।
 14. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
 15. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की ओर आगामी राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
 17. संयुक्त संचालक जनसंपर्क विभाग भोपाल की ओर प्रदेश के स्थानीय समाचार प्रकाशन हेतु।
 18. गार्ड फाईल।

09/5/18
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक बी-470/2018/सात/4बी,
प्रति,

भोपाल, दिनांक 14/06/18


आयुक्त (नाम से)
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर
मध्यप्रदेश ।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भोपाल जिले में की गई घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में ।

विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा क्रमांक बी-4222 दिनांक 26/12/2017 के परिपालन में विभाग द्वारा सहरिया, बैगा एवं भारिया विशेष आदिम जनजातियों के उम्मीदवारों को राजस्व विभाग के पटवारी पद पर सीधी भर्ती हेतु आदेश क्रमांक एफ 13-2/1986/सात/4बी, दिनांक 09/05/2018 जारी किये गये है। जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है।

2/ अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि प्रकरण में शीघ्र कार्य पूर्ण कर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार,


(एन.पी.अहिरवार)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

20/06/18

14
20/06/18

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश
विशेष आदिम जनजाति (सहारिया बैगा एवं भारिया) पटवारी भर्ती, 2018 हेतु निर्देश

ऑनलाईन आवेदन-पर	
आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि: 16 जुलाई 2018	आवेदन भरने की अंतिम तिथि: 28 जुलाई 2018
ऑनलाईन आवेदन-MPOOnline कियोस्क के माध्यम से आनलाईन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी आनलाईन का पोर्टल शुल्क रुपये 70/- देय होगा। रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से mponline.gov.in पर लॉगिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 40/- रु. देय होगा।	

नियम एवं शर्त :-

1. यह विशेष पटवारी भर्ती केवल विशेष जानजाति(सहारिया, बैगा एवं भारिया) के अभ्यर्थियों हेतु है। मध्य प्रदेश भू-अभिलेख और बंदोबस्त, तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2012 के नियम 6(3) व 6(4) में निहित प्रावधानों अंतर्गत म.प्र. शासन राजस्व विभागद्वारा सहारिया, बैगा एवं भारिया विशेष आदिम जनजाति हेतु 143 पदों पर पटवारी भर्ती 2018 हेतु आदेश क्रमांक एफ 13-2/1986/सात/4बी दिनांक 09/05/2018 द्वारा भर्ती शर्तों को सिधिल किया गया है.
2. इस भर्ती हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 यथा संशोधित 2 अगस्त 2014 के नियम 4 ख के अनुसार विशेष आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हों.
3. अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूलनिवासी होना अनिवार्य है।
4. **चयन प्रक्रिया:** शासन द्वारा विशेष आदिम जनजाति के उम्मीदवारों को पटवारी पद पर भारत हेतु चयन प्रक्रिया से मुक्त रखते हुए सीढ़ी भर्ती की छूट दी गयी है. अभ्यर्थियों का चयन वरीयता अनुसार स्नातक में प्राप्तांक (प्रतिशत) के आधार पर किया जाएगा. तदुपरांत यदि पर रिक्त रहते हैं तो हायर सेकेंडरी (10+2) में प्राप्तांक (प्रतिशत) के आधार पर किया जाएगा.
5. **शैक्षणिक योग्यता:-** वर्तमान नियम अनुसार अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, परन्तु मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी (10+2 पद्धति से) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं. हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन हेतु हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक (प्रतिशत) के आधार पर चयन हेतु विचार में उस परिस्थिति में लिया जाएगा जबकि स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों. यदि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन पटवारी पद पर होता है तो शासन परिपत्र दिनांक 09/05/2018 अनुसार चयनोप्रांत पांच वर्ष के भीतर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.
6. अभ्यर्थियों को कंप्यूटर प्रोफेशियन्सी सर्टिफिकेट टेस्ट (CPCT) उत्तीर्ण होना चाहिए परन्तु यदि अभ्यर्थी CPCT उत्तीर्ण नहीं है तो नियुक्ति के 5 वर्ष के भीतर अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
7. महिलाओं, निःशक्तजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण नियमानुसार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों अनुसार रहेगा.


 नीरम कुमार सिंह
 उपर आयुक्त
 भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
 मध्य प्रदेश

विशेष आदिम जनजाति सहरिया बैगा एवं भारिया पटवारी भर्ती 2018

अध्याय 1

पात्रता एवं चयन संबंधी निर्देश

1. मध्य प्रदेश भू-अभिलेख और बंदोबस्त, तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम 2012 के नियम 6(3) व 6(4) में निहित प्रावधानों अंतर्गत म.प्र. शासन राजस्व विभागद्वारा सहरिया, बैगा एवं भारिया विशेष आदिम जनजाति हेतु 143 पदों पर पटवारी भर्ती 2018 हेतु आदेश क्रमांक एफ 13-2/1986/सात/4वीं दिनांक 09/05/2018 द्वारा भर्ती शर्तों को शिथिल किया गया है।

2. सामान्य:-

यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, राजस्व विभाग के सहरिया, बैगा एवं भारिया विशेष आदिम जनजाति हेतु पटवारी भर्ती 2018 में आवेदन कर रहे हैं।

3. परिभाषाएँ :-

3.1 आरक्षण से अभिप्रेत है सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिये पदों का आरक्षण।

3.2 "विशेष आदिम जनजाति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 यथा संशोधित 2 अगस्त 2014 के नियम 4 ख में वर्णित क्षेत्रों में निवासरत वर्णित आदिम जनजाति यथा श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, तथा अशोकनगर की सहरिया आदिम जनजाति, जिला मण्डला, डिण्डोरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाडा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति।

3.3 "भर्ती का वर्ष" से अभिप्रेत है किसी वर्ष की पहली जनवरी को प्रारम्भ होने वाली 12 मास की कालावधि, जिसके भीतर ऐसे रिक्त पद के प्रति भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है।

3.4 "भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है" ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लडाकू या गैर लडाकू) के कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की और-

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवान्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी निर्मुक्त के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो या-

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः माह से अधिक अवधि के लिये करनी पड़ी हो,

(तीन) जिसे केन्द्र शासन के सशस्त्र बल में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।

भारत कुमार सिंह
आगरा आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

5. अर्हताएँ:-

पटवारी चयन हेतु आवेदन करने के लिये वही उम्मीदवार पात्र होगा जिसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएँ हैं :-

1. उम्मीदवार विशेष आदिम जनजाति का सदस्य हो तथा मध्यप्रदेश का मूलनिवासी हो ।
 2. वर्तमान नियम अनुसार अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, परन्तु मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी (10+2 पद्धति से) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं. हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चयन हेतु हायर सेकेंडरी में प्राप्तांक (प्रतिशत) के आधार पर चयन हेतु विचार में उस परिस्थिति में लिया जाएगा जबकि स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो. यदि हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण अभ्यर्थी का चयन पटवारी पद पर होता है तो शासन परिपत्र दिनांक 09/05/2018 अनुसार चयानोप्रांत पांच वर्ष के भीतर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा.
8. अभ्यर्थियों को कंप्यूटर प्रोफेशियंसी सर्टिफिकेट टेस्ट (CPCT) उत्तीर्ण होना चाहिए परन्तु यदि अभ्यर्थी CPCT उत्तीर्ण नहीं है तो नियुक्ति के 5 वर्ष के भीतर अभ्यर्थी को CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

टीप: ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय ज़िला कलेक्टर द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।

6. आरक्षण :-

6.1 इस भर्ती हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 यथा संशोधित 2 अगस्त 2014 के नियम 4 ख के अनुसार विशेष आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हो जैसा की कंडिका 3.2 में वर्णित है.

6.2 महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत पदों का आरक्षण (Horizontal) होगा । यदि महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (Carry forward) नहीं किये जायेंगे । ऐसे रिक्त पदपात्र पुरुष उम्मीदवार से भरे जावेंगे।

6.3 निःशक्तजनों के लिये श्रवण बाधित/अस्थि बाधित श्रेणी में कुल 6 प्रतिशत आरक्षण होगा. मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 648/2009/सात/5 बी दिनांक 11 मई 2009 के अनुसार हृष्टिबाधितअभ्यर्थी पटवारी पद हेतु मान्य नहीं होंगे ।

मध्य प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली भाग एक अध्याय एक के नियम-1 की टिप्पणी (1) (4) की कंडिका-5 (ग)के अनुसार निःशक्तजन पटवारी के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये पात्र नहीं होंगे, यदि शारीरिक दुर्बलता के कारण काम करने योग्य न हो ।शारीरिक दुर्बलता (Physical infirmity) भी ऐसा होना चाहिए कि जो अस्थाई दशा (Temporary Phase) न हो, बल्कि शारीरिक ऐसी अस्वस्थता हो जिसमें रोग का स्थायित्व हो गया हो और उसके कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिये 10 प्रतिशत पदों का आरक्षण (Horizontal) होगा ।

आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा।

7. स्थानीयनिवासी:-

भारत का नागरिक हो। मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

8. आयु सीमा :-

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवाओं हेतु समय समय पर जारी प्रावधान अनुसार यथा संशोधित आयु सीमा लागू होगी। अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती के चालू वर्ष की 01 जनवरी 2018 को 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

9. निरर्हताएँ:-

9.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

9.2 दुश्चरित्र होने पर।

9.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण काम करने योग्य न हो।

9.4 पररूपधारण -किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।

9.5 विवाह संबंधी -जिस उम्मीदवार को न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे पटवारी के पद पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/स्त्री से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही जीवित पत्नी हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 2 से अधिक हो गयी हो वह चयन के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव में 2 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिये अनर्ह नहीं होगा।

9.6 कुट रचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर

9.7 कदाचरण संबंधी -किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

9.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी अपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।

9.9 स्वास्थ्य संबंधी मानसिक रूप से फिट न होने पर :- किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सक अधिकारी, जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जावे तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करे।

9.10 फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छिपायी हो/सारभूत जानकारी छिपायी हो।

9.11 विशेष वर्णित उपबंधों को छोड़कर भर्ती हेतु मध्यप्रदेश भू-अभिलेख और बन्दोबस्त तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (कार्यपालिक एवं तकनीकी) सेवा भर्ती नियम दिनांक 04 मई 2012 यथा संशोधित दिनांक 07 नवंबर

निरज कुमार सिंह
आर. आयुक्त
भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

				सैनिक			
1	विशेष आदिम जनजाति	5	3	1	0	9	का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं। अन्यथा कि अभ्यर्थी बिना निःशक्तजन आरक्षण के मेरिट में चयनित है, चूंकि मात्र एक पद आरक्षित है अतः श्रवण/दृष्टि बाधित में से जो अभ्यर्थी मेरिट में ऊपर होगा उसे इस वर्ग अंतर्गत चयन हेतु पात्र माना जाएगा.

जिला शिवपुरी सीधी भर्ती पटवारी कुल 25 पदों की आरक्षण तालिका -

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		सभी अभ्यर्थी	महिला	सभी भूतपूर्व सैनिक	महिला		
1	विशेष आदिम जनजाति	15	8	1	1	25	निशक्तजनों की कुल 02 रिक्ति में से 01 श्रवण-बाधित हेतु तथा 01 अस्थिबाधित हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी कानिःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं

जिला गुना सीधी भर्ती पटवारी कुल 28 पदों की आरक्षण तालिका -

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		सभी अभ्यर्थी	महिला	सभी भूतपूर्व सैनिक	महिला		
1	विशेष आदिम जनजाति	17	9	1	1	28	निशक्तजनों की कुल 02 रिक्ति में से 01 श्रवण-बाधित हेतु तथा 01 अस्थिबाधित हेतु आरक्षित है। जिस श्रेणी कानिःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं

जिला अशोकनगर सीधी भर्ती पटवारी कुल 08 पदों की आरक्षण तालिका -

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग
		सभी अभ्यर्थी	महिला	सभी भूतपूर्व सैनिक	महिला		
1	विशेष आदिम जनजाति	5	2	0	1	8	निशक्तजनों की कुल 0 रिक्ति आरक्षित है।

		अभ्यर्थी		भूतपूर्व सैनिक		आरक्षित है।
1	विशेष आदिम जनजाति	4	2	1	0	7

जिला शहडोल सीधी भर्ती पटवारी कुल 11 पदों की आरक्षण तालिका -

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निशक्तजनों की कुल 01 रिक्ति आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं. अन्यथा कि अभ्यर्थी बिना निःशक्तजन आरक्षण के मेरिट में चयनित है, चूंकि मात्र एक पद आरक्षित है अतः श्रवण/दृष्टि बाधित में से जो अभ्यर्थी मेरिट में ऊपर होगा उसे इस वर्ग अंतर्गत चयन हेतु पात्र माना जाएगा.
		सभी अभ्यर्थी	महिला	सभी भूतपूर्व सैनिक	महिला		
1	विशेष आदिम जनजाति	7	3	1	0	11	

जिला उमरिया सीधी भर्ती पटवारी कुल 09 पदों की आरक्षण तालिका -

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निशक्तजनों की कुल 01 रिक्ति आरक्षित है। जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जायेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग / ओपन रिक्तियों में समाहित हैं. अन्यथा कि अभ्यर्थी बिना निःशक्तजन आरक्षण के मेरिट में चयनित है
		सभी अभ्यर्थी	महिला	सभी भूतपूर्व सैनिक	महिला		
1	विशेष आदिम जनजाति	05	3	1	0	9	

जिला अनूपपुर सीधी भर्ती पटवारी कुल 05 पदों की आरक्षण तालिका -

स.क्र.	श्रेणी	बिना वर्ग		भूतपूर्व सैनिक		योग	विकलांग निशक्तजनों की कुल 0 रिक्ति आरक्षित है।
		सभी अभ्यर्थी	महिला	सभी भूतपूर्व सैनिक	महिला		
1	विशेष आदिम जनजाति	3	2	0	0	5	

टीप:- निःशक्तजन / भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के अद्यतन नियमानुसार किया गया है।

11. चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया :-

(1) अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रथम वरीयता में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्ति रखा जायेगा। इनकी मेरिट सूची स्नातक में प्राप्तांक के आधार पर तैयार होगी। तदुपरांत यदि पद रिक्त रहते हैं, तो हायर सेकण्डरी (10+2 पढ़ति से) उत्तीर्ण उम्मीदवारों की मेरिट सूचीप्राप्तांक के आधार पर तैयार की जाकर चयन किया जायेगी।

(2) पटवारी चयन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी :-

(क) आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जाएंगे. ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन को मान्य नहीं किया जाएगा. आवेदन मात्र पोर्टल mponline.gov.in के माध्यम से स्वयं आवेदक/अथवा कीओस्क दर्ज कर सकेगा.

(ख) पटवारी पद एक जिला स्तरीय संवर्ग का पद है अतः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा, जिस जिले में अभ्यर्थी पदस्थापना चाहते हैं। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय अपनी पद स्थापना हेतु जिले में प्राथमिकता अंकित करते समय एक या अधिक जिलों का चयन नहीं करते हैं तो यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी इस/इन जिलों में पदस्थापना नहीं चाहता हैं भले ही अभ्यर्थी मेरिट सूची में चयन क्रम अनुसार पदस्थापना की पात्रता रखता हो तथा उसकी उस जिले में पदस्थापना नहीं की जाएगी।

(ग) अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिलों को वरीयता के क्रम अंकित किये जायेगे। आवेदन के समय जिलों की दी गई वरीयता में आवेदन जमा करने के पश्चात् कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(3) चयन प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थियों की मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी। कंडिका 10 में वर्णित आरक्षण लागू होंगे.

(4) अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दिए गए जिलों के वरीयता क्रम एवं मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन किया जायेगा। यदि आवंटन उपरांत पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसके पश्चात् पद भरने तक या अधिकतम तीन बार काउंसिलिंग द्वारा पद भरने की प्रक्रिया की जायेगी।

(5) दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी को समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि यह दस्तावेज अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो उसका चयन निरस्त किया जा सकेगा.

(6) चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित दिनांक को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है. यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहता है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसका चयन निरस्त कर प्रतीक्षा सूची में से अन्य पात्र अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान कर सकेगा.

(7) जिलेवार प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी जिसमें 15% अभ्यर्थी रखे जायेगे तथा ये प्रतीक्षा सूची 18 माह तक मान्य होगी। ये प्रतीक्षा सूची सभी जिलों को उपलब्ध कराई जायेगी।


(8) चयन के पश्चात कार्यभार पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

(9) चयनित अभ्यर्थियों को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जायेगा।

(10) चयनित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली के अनुसार पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

12. न्याय/क्षेत्राधिकार:-

किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा।


नरेश कुमार सिंह,
अपर आयुक्त
भू अभिलेख एवं बन्दीकरण
मध्य प्रदेश

अध्याय-2

आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश

- 2.1 (i) इस परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त किए जायेंगे, जिसमें से आवेदक द्वारा अपनी शैक्षणिक व अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक एवं पात्रता सम्बन्धी अर्हताओं का भलीभाँति अध्ययन उपरान्त ही आवेदन पत्र भरें।
- (ii) पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है।
- (iii) अभ्यर्थी को म0प्र0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- 2.2 (i) आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायें आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिये।
- (ii) आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात किसी भी दिनांक को अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के लिये विचार क्षेत्र में होने की पात्रता नहीं होगी।
- (iii) आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
- (iv) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय संबंधित विभाग/ संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा।
- (v) यदि बाद में यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी स्तर पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग द्वारा परीक्षा में प्रवेश/चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
- (vi) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2.3 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण :-

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इनके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि में सवा-घोषणा को स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को जन्मतिथि के प्रमाण हेतु जन्म प्रमाण पत्र, दसवी अथवा बारहवी की अंकसूची (जिसमें जन्म-दिनांक अंकित हो) को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में आवेदक को मूल निवास के प्रमाण हेतु सक्षम प्राधिकारी से जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

विशेष आदिम के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

- (iv) सभी उम्मीदवारों को हायर सैकेंडरी (10+2) का मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी अंकसूची (जिसमें प्राप्तांक व पूर्णांक लिखे हो) को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।
- (v) स्नातक उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी स्नातक की अंकसूची (जिसमें प्राप्तांक व पूर्णांक लिखे हो) को स्कैन करवाकर संलग्न करना होगा।

2.4 ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर संलग्न करने संबंधी निर्देश:-

- (i) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी का कलर फोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि को प्रपत्र प्रारूप-03 अनुसार स्कैन कराकर संलग्न करना होगा।
- (ii) जिसमें फोटो ऊपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे के भाग में होंगे। फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता एवं पृष्ठभाग (background) सफेद होना चाहिये।
- (iii) पोलोराइड (Polaroid) फोटोग्राफ मान्य नहीं होगा।
- (iv) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए। जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान भी स्पष्ट दिखाई दें।
- (v) उपरोक्त मापदंड के फोटोग्राफ संलग्न नहीं किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (vi) फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा फोटोग्राफ पर खिंचवाने की दिनांक व आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। यथा संभव अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो दाढ़ी में/क्लीन शेव में लगाया गया है तो परीक्षा हाल में वैसी ही स्थिति में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- (vii) यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है, तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाया जाना होगा। काले चश्मे के साथ खिंचा हुआ फोटोग्राफ मान्य नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया फोटो ही काउंसिलिंग/चयन प्रक्रिया में उपयोग में लाया जायेगा। अतः ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ की कम से कम 5 प्रतियाँ सुरक्षित रख जाना होगा।
- (ix) ऑनलाईन आवेदन पत्र में हस्ताक्षर निर्धारित जगह पर फोटो के नीचे पूर्णतः स्पष्ट रूप से किये जाने होंगे। लघु हस्ताक्षर, अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में हस्ताक्षर अथवा एक से अधिक हस्ताक्षर मान्य नहीं होंगे।
- (x) ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ दिए गए हस्ताक्षर के समान ही हस्ताक्षर काउंसिलिंग/चयन के समय मान्य होंगे।

2.5 एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से भी ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है, जिसके लिए चाही गई समस्त जानकारीयों व फोटो सहित आवेदक को जाना होगा:-

- (i) पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए आवेदन-पत्र के प्रारूप को नियमों के अनुरूप उचित रूप से भरना चाहिये।
- (ii) कियोस्क धारक आवेदक का फोटो, हस्ताक्षर व हस्तलिपि की दो लाईनों को स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ यथास्थान संलग्न करेगा।
- (iii) फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारीयों भलीभांति पढ़कर सही-सही जानकारी भरा होना सुनिश्चित करने के पश्चात् ही कियोस्कधारक को पोर्टल शुल्क का भुगतान हेतु सहमति दें तथा नकद राशि का भुगतान कियोस्कधारक को करें।

श्री राज कुमार सिंह
 अध्यक्ष, एम.पी. कियोस्क
 एम.पी. कियोस्क, एम.पी. कियोस्क

- (iv) भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्कधारक द्वारा कम्प्यूटराईज्ड आवेदन-पत्र सह रसीद आवेदक को उपलब्ध करायेगा, जिसमें आवेदक का ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी गई समस्त जानकारी के साथ पोर्टल शुल्क भुगतान की जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिसे स्वयं के पास संभालकर रखा जाना होगा।

2.6 ऑनलाईन आवेदन करने के संबंध में निर्देश :

- आवेदन पत्र, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा भरे जाने वाले आवेदन पत्र में राज्य एवं जिले का विवरण "मीनू" के माध्यम से प्राप्त होगा। जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार राज्य एवं जिले की आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सके।
- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में भरी जाने वाली समस्त जानकारियों की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप अर्हता रखने वाली अंक सूची का क्रमांक तथा कुल प्राप्तांक, पूर्णांक सहित आवेदन पत्र में भरा जाना अनिवार्य है।

2.7 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की व्यवस्था :-

- ऑनलाईन आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर से भी उपरोक्त उल्लेखित वेबसाइट्स से डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर/मास्ट्रो) कार्ड/क्रेडिट कार्ड (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या नेट बैंकिंग के माध्यम से निर्धारित पोर्टल शुल्क का भुगतान कर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है।
- शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाईन आवेदन-पत्र की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।

2.8 ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने हेतु दो विकल्प हैं :-

- इंटरनेट कॅफे द्वारा (क्योस्क)
- स्वयं के कम्प्यूटर द्वारा

- आवेदक वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से होम पेज पर उपलब्ध **Citizen Services** (नागरिक सेवाएं) के अंतर्गत

Application क्लिक कर

परीक्षा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश/Instructions तथा परीक्षा नियम/Examination Rules उपलब्ध होंगे।

- निर्देशों एवं नियमों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु **Continue** बटन को क्लिक करें।

- ऑनलाईन आवेदन-पत्र में चाही गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है तथा किसी भी जानकारी के रिक्त रहने की स्थिति में ऑनलाईन आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा।

नीला कुमार सिंह
साथ आयुक्त
मू. अभिलेख एवं बंधनवत्
मध्य प्रदेश

ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि की दो लाईनों की एक इमेज तैयार करने हेतु Link के माध्यम से प्रारूप मुद्रित कर उसमें यथास्थान हस्तलिपि की दो लाईनें, फोटो

तथा हस्ताक्षर कर उसे स्केन कर jpg फार्मेट में ही कम्प्यूटर में सेव करें व इसे **Browse** बटन के माध्यम से सेव किए गए इमेज को ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न (Attach) करें।

(v) ऑनलाईन आवेदन-पत्र को **Submit** करने के पूर्व पुनः पढ़कर सुनिश्चित करें कि आवेदन-पत्र में भरी गई जानकारी सही है अथवा नहीं। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हो तो उसे ठीक करने के पश्चात् ही **Submit** बटन का उपयोग कर आवेदन-पत्र को जमा करें।

(vi) आवेदन पत्र जमा होने पर आवेदन-पत्र क्रमांक दर्शाया जायेगा तथा पोर्टल शुल्क के भुगतान हेतु **proceed to payment** बटन का उपयोग किया जाना होगा, जिसके अंतर्गत दो विकल्प उपलब्ध होंगे :-

- (अ) क्रेडिट/डेबिट कार्ड
- (ब) इंटरनेट बैंकिंग

2.9 क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से पोर्टल शुल्क का भुगतान:-

- (i) आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।
- (ii) क्रेडिट/डेबिट कार्ड विकल्प का चयन करने पर निर्धारित बैंकों का भुगतान हेतु पेमेन्ट गेटवे उपलब्ध होगा, जिसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भर कर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।
- (iii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.10 इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का भुगतान :-

- (i) आवेदक के पास इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होने पर ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान निर्धारित बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग से बैंक द्वारा प्रदाय यूजर आई.डी. का उपयोग कर किया जा सकता है।
- (ii) पोर्टल शुल्क के सफलतापूर्वक भुगतान होने पर ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी की कम्प्यूटराईज्ड रसीद उपलब्ध होगी, जिसे मुद्रित कर संभालकर रखा जाना होगा ।

2.11 आवेदक के पास उपरोक्त उल्लेखित क्रेडिट/डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वह ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के उपरांत एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन-पत्र क्रमांक उपलब्ध कराकर MPONLINE के शुल्क का भुगतान कर आवेदन-पत्र जमा कर रसीद एवं ऑनलाईन आवेदन-पत्र की प्रति प्राप्त कर सकता है, जिसे संभालकर रखा जाना होगा.

2.12 एक से अधिक ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने संबंधी निर्देश :-

(i) ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की निर्धारित अवधि में किसी कारणवश यदि आवेदक एक से अधिक अर्थात् डुप्लीकेट ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरता है, तो उसे पूर्व में भरे गए आवेदन-पत्र की जानकारी यथा नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम जन्मतिथि, लिंग इत्यादि में समानता के आधार पर कम्प्यूटर पर सचेत किया जायेगा कि उक्त जानकारी का पूर्व से ही ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरा गया है, क्या उसे निरस्त करना चाहते हैं ? यदि आवेदक द्वारा "हाँ" विकल्प का चयन किया जाता है तब ही उसके द्वारा नवीन आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, अन्यथा पूर्व में भरा गया ऑनलाईन आवेदन-पत्र ही मान्य होगा।

अभ्यर्थी द्वारा विकल्प "हाँ" का चयन कर नवीन आवेदन भरने की स्थिति में आवेदक के मोबाईल नंबर/ई-मेल आईडी पर एम.पी. ऑनलाईन द्वारा यथा सम्भव पूर्व में भरा गया आवेदन निरस्त

RPV
नीलम कुमार सिंह
कृष्ण आरुक्ता (ii)
भू अभिलेख एवं दस्तावेज
मध्य प्रदेश

होने की जानकारी भेजी जाएगी तथा नवीन आवेदन-पत्र की हार्डकॉपी में भी पूर्व में भरा गया आवेदन पत्र निरस्त होने की जानकारी दी जायेगी।

- (iii) ऐसी स्थिति में पूर्व में भरे गए आवेदन का भुगतान किया गया शुल्क राजसात किया जावेगा तथा इसके स्थान पर भरे गए नवीन आवेदन-पत्र के लिए पुनः शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (iv) आवेदक द्वारा छद्म रूप से एक से अधिक आवेदन किये जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जावेगी।

2.13 ऑनलाईन आवेदन-पत्र का निरस्तीकरण :-

- (i) एम.पी. ऑनलाईन से डेटा प्राप्त होने के उपरान्त नियम पुस्तिका में उपलब्ध करवाये गये फोटो एवं हस्ताक्षर संबंधी स्पेशिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर एवं हस्तलिपि का परीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) इनमें त्रुटि, अस्पष्टता, या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
- (iii) इस संबंध में विभाग द्वारा कोई भी पत्राचार नहीं किया जायेगा तथा समस्त जवाबदारी आवेदक की स्वयं की होगी।

2.14 आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा. गलत आवेदन हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा.

2.15 ऑनलाईन आवेदन-पत्र के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/समस्या के लिए M.P. OnLine के Helpdesk के दर्शाए गए दूरभाष क्रं. 0755 - 4019400 पर सम्पर्क किया जाना होगा।


 निरस्त आवेदन विभाग
 मध्य प्रदेश
 भोपाल